



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-15042025-262451
CG-CG-E-15042025-262451

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1683]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 15, 2025/चैत्र 25, 1947

No. 1683]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 15, 2025/CHAITRA 25, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

बिलासपुर, 27 मार्च, 2025

रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20क के अंतर्गत सूचना

का.आ. 1714(अ).—रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20क की उपधारा (1) जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है, द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक उद्देश्य के लिये संतुष्ट होने के बाद ऐसी भूमि का जिसका संक्षिप्त वर्णन संलग्न अनुसूची में दिया गया है, जो कि विशेष रेल परियोजना “दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित दाधापारा – बेल्हा (9.20 कि.मी.) चौथी लाईन परियोजना का निर्माण है। छत्तीसगढ़ राज्य में निष्पदान के लिए आवश्यक है, एतद्वारा अधिग्रहण करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधिन, पूर्वत्क प्रयोजन के लिये ऐसी भूमि के अर्जन एवं उपयोग के संबंध पर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, यानी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बेल्हा, बिलासपुर – छत्तीसगढ़, को लिखित में किया जायेगा और उसके आधार उपवर्णित किये जायेंगे तथा सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को

वैयक्तिक रूप से विधी व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, तो करने के पश्चात, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझें, आदेश द्वारा, आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अनुअनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा, इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक एवं अन्यब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित दाधापारा – बेल्हा (9.20 कि.मी.) चौथी लाईन परियोजना का निर्माण है, बिलासपुर जिले के लिए, अधिग्रहण किये जाने के लिए संरचना के सहित या उनके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण—

जिला का नाम – बिलासपुर		तहसील – बोदरी	
क्रमांक संख्या	गांव का नाम	खसरा/प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	बोदरीमन	234	0.046
2		237	0.088
3		238	0.048
4		239	0.062
5		240	0.042
6		262	0.158
7		421	0.182
8		422	0.112
9		423	0.107
10		460	0.093
11		461	0.040
12		462	0.145
13		473	0.004
14		474	0.125
15		475	0.061
16		476	0.020
17		477	0.065
18		478	0.065
कुल योग – 1.463 हेक्टेयर			

[फा. सं. डी.सी.ई-II/कॉन/आर/चौथी लाईन/दाधापारा – बेल्हा/20क] आलोक तिवारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS
(South East Central Railway)

NOTIFICATION

Bilaspur, the 27th March, 2025

Notice Under Section 20A of the Railway Act,1989

S.O. 1714(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act,1989 (24 of 1989) (hereinafter referred as the said Act,) the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land brief description of which is given in the schedule annexed hereto is required for the execution of Special Railway Project, namely **“Construction of 4th line between Dadhapara-Belha of South East Central Railway (9.20 Km)”** in Bilaspur District in the state of Chhattisgarh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may within a period of 30 days from the date of publication of this notification in the official gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 20D of the said Act.

Every objection shall be made to the Competent Authority namely Sub Divisional officer (Revenue), Belha Bilaspur, Chhattisgarh, in writing and shall set out grounds thereof and the competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely **Construction of 4th line between Dadhapara-Belha of South East Central Railway (9.20 Km)** in Bilaspur District in the state of Chhattisgarh.

Name of District:- Bilaspur

Tehsil: Bodri

S.N.	Name of Village	Khasra/Plot No.	Area (In Hect.)
1	Bodriman	234	0.046
2		237	0.088
3		238	0.048
4		239	0.062
5		240	0.042
6		262	0.158
7		421	0.182
8		422	0.112
9		423	0.107
10		460	0.093
11		461	0.040
12		462	0.145
13		473	0.004
14		474	0.125
15		475	0.061
16		476	0.020
17		477	0.065
18		478	0.065
Grand Total – 1.463 Hect.			

[F. No. DCE-II/Con/R/4th line/Dadhapara-Belha/20A]

ALOK TIWARI, Chief Administrative Officer (Const.)